विधिक सेवा दिवस - 2018

09-11-2018

विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यः

1) निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
2) कानूनी साक्षरता फैलाना
3) लोक अदालतों का आयोजन करना
4) विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
5) अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं:

1) महिला और बच्चे
2) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
3) औद्योगिक कामगार
4) बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित
5) विकलांग व्यक्ति
6) हिरासत में व्यक्ति
7) वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम है या जो आय सीमा केन्द्र/राज्य सरकार अधिसूचित करती है
8) मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित

निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है।

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाएं संस्थाएं हैं:

1) राष्ट्रीय स्तर पर : **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**
2) राज्य स्तर पर : **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**
3) जिला स्तर पर : **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**
4) उप मंडल/तालुका स्तर पर : **उप मंडल/तालुका विधिक सेवा समिति**
5) उच्च न्यायालय स्तर पर : **उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**
6) उच्चतम न्यायालयः **सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति** स्तर पर

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम विधिक सेवा संस्था, फ्रंट ऑफिस (जिला न्यायालय परिसर/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में), लीगल सर्विसिस क्लीनिक अथवा **Nalsa online portal http://www.nalsa.gov.in/slams** या टोल फ्री नम्बर **15100** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

State Legal Services Authority, U.T., Chandigarh

राज्य कानूनी सेवाऐं प्राधिकरण (यू.टी.) चण्डीगढ़

एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग, सिंगल फ्लोर सैक्टर - 9 डी, चण्डीगढ़ slsa online portal http:www.chdslsa.gov.in

हैल्पलाईन नं: 1516 | मोबाईल नं: 70871 – 123 48